



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : उ०पु०/५८२
दिनांक : १४/५/२०२३

अधिसूचना

प्रायः यह देखने में आया है कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकायें जब बिनष्ट कर दी जाती हैं तो उसके पश्चात् छात्र/छात्रायें उपस्थिति पत्रक संलग्न कर अनुपस्थिति के अंक प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हैं। उक्त प्रकरण को परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

मा० परीक्षा समिति की दिनांक 24.06.2022 को आहूत हुई बैठक में प्रश्नात् प्रकरण में निम्नवत् निर्णय लिया गया :-


“परीक्षा सम्पन्न होने की तिथि से 01 वर्ष के अन्दर प्रस्तुत होने वाले प्रत्यावेदनों का निस्तारण छात्र/छात्राओं की उत्तर पुस्तिका निकालकर परीक्षक द्वारा दिये गये अंक प्रदान कर दिये जाय। विश्वविद्यालय द्वारा चूँकि 01 वर्ष के पश्चात् उत्तर पुस्तिकायें डम्प कर दी जाती हैं और छात्र/छात्राओं के अंक यदि अवार्ड शीट (कुलसचिव प्रति) में भी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रत्यावेदनों को निरस्त कर निस्तारित कर दिया जाय।”

एतद्वारा प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक से अनुरोध है कि परीक्षा समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय से स्वयं अवगत होते हुए छात्र/छात्राओं को भी अवगत कराने का कष्ट करें।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, कुलपति को मा० कुलपति महोदया जी के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
02. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
03. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक के सूचनार्थ।
04. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्र/छात्राओं को सूचनार्थ।


सहा० कुलसचिव
(उ०पु०/गोप०)